राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप – 3)

क्रमांकःF.6(48) प्र.सु./अनु–3/2004 जयपुर, दिनांक 24-09-2004

आज्ञा

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र के वृहत विकास द्वारा राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने एवं राज्य की नई सूचना प्रौद्योगिकी और संचार नीति तैयार कर, नीति के क्रियान्वयन में गति लाने की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल (I.T. TASK FORCE) के गठन की राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यदल का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सरकारी सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सरकारी सदस्य
5.	श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, अध्यक्ष, इन्फोसिस (अथवा नामित प्रतिनिधि)	गैर सरकारी सदस्य
6.	श्री किरण कार्णिक, अध्यक्ष, नास्कॉम	गैर सरकारी सदस्य
7.	श्री राजेन्द्र पंवार, अध्यक्ष, एन.आई. आई.टी लिमिटेड	गैर सरकारी सदस्य
8.	श्री जे.चन्द्रशेखर, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
9.	डा. अशोक झुनझुनवाला, प्रोफेसर, आई.आई.टी. चेन्नई	गैर सरकारी सदस्य
10.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	संयोजक

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल के निम्नलिखित कार्य होंगें :–

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को राज्य के आर्थिक विकास में सहायक बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों को दिशा

प्रदान करने एवं सरकारी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने हेतु दिशागत प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

2. राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने हेतु परामर्श देना एवं उसके माध्यम से राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप स्थित उन्पन्न कर राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहयोग प्रदान करना।
3. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिये परामर्श देना तथा राज्य सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं एवं नागरिकों की सहभागिता से सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने में सहयोग देना।
4. सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर कर नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति को सुलभ बनाने हेतु परामर्श देना।
5. सरकार एवं उद्योग के मध्य समन्वय स्थापित कर राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित समस्याओं को हल करने में सहयोग प्रदान कराना।
6. ई–गवर्नेन्स से संबंधित मुद्धों पर परामर्श देना।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल की बैठक आवश्यकतानुसार होगी। इस कार्यदल का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा एवं इसका प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त
7. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिंकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान
11. समस्त कार्यबल के सदस्य (कार्यदल के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से) :–
12. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–।, ।।, ।।। एवं 4)
14. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ सूचना प्रौद्योंगिकी कार्यदल के समस्त सदस्यगणों को वितरण हेतु प्रेषित है ।
15. निदेशक, जन–सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
16. रक्षित पत्रावली

उपशासन सचिव